अनुसूची

SCHEDULE

लाइसेंस सं. सीएम/एल-8530094419 LICENCE NO. CM/L - 8530094419

नाम : आदर्श पी.वी.सी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड,

फैक्ट्री एड्रेस : **किल्ला न - 36/13/2, 36/14, नाथुपुर, राई - 131029,** विधिमान्यता : **पच्चीस जुलाई दो हज़ार चौबीस से चौबीस जुलाई दो हज़ार पच्चीस**

Name: ADARSH PVC PIPES PRIVATE LIMITED,

Factory Address: KILLA NO 36/13/2, 36/14, NATHUPUR, RAI - 131029,

Validity: From Twenty Fifth July Two Thousand Twenty Four to Twenty Fourth July Two

मानक चिह्न STANDARD MARK	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S)	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र SCOPE OF LICENCE	चिह्नांकन शुल्क MARKING FEE
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 16647 CM/L- 8530094419	IS 16647 : 2017 ORIENTED UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE (PVC-O) PIPES FOR WATER SUPPLY	Name of the product- ORIENTED UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE (PVC-O) PIPES FOR WATER SUPPLY, Material classification-500, Design coefficient (C)- 1.4, Class of pipes (Pressure rating)-16, Nominal Size-125 to 315 mm, End of pipes- 125mm and upto and including 315 mm a) Plain ended pipes b) Integrally Socketed for elastomeric sealing ring jointing.	एक वर्ष की प्रचालन अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस ₹ 160000.00 के साथ सभी इकाईयों के लिए ₹ 79.75 प्रति इकाई इकाई: 1 TON एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रनीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s)

कृते भारतीय मानक ब्यूरो for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

2018/01

प्रमुख (दिल्ली शाखा कार्यालय-II)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल- 8530094419 Licence No. CM/L- 8530094419

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आदर्श पी.वी.सी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, किल्ला न - 36/13/2, 36/14, नाथुपुर, राई - 131029,

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मो पर, उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है | इन उत्पादित क़िस्मो पर चिन्ह का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

ADARSH PVC PIPES PRIVATE LIMITED, KILLA NO 36/13/2, 36/14, NATHUPUR, RAI - 131029,

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2.इस अनुज्ञप्ति में अनुबंद अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा-उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-। में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This licence carries the obligations on the part of licence as condition of licence which are given in Annexure attached herewith. The licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-I